

प्रपत्र संख्या 10  
( नियम 9 देखिये)

उत्तर प्रदेश सरकार  
स्वास्थ्य विभाग  
मृत्यु का प्रमाण पत्र

जन्म और मृत्यु .....  
रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1969 की धारा  
12 के अधीन जारी किया गया/धारा  
धारा 17 के अधीन जारी किया गया

प्रमाणित किया जाता है कि निम्नलिखित सूचना मृत्यु के मूल अभिलेख से ली गयी है  
जो .....राज्य के ..... जिले के .....  
तहसील के .....के रजिस्टर में है।

(स्थानीय क्षेत्र)

नाम ..... राष्ट्रीयता .....  
लिंग ..... स्थायी पता .....

मृत्यु का दिनांक ..... रजिस्ट्रीकरण संख्या .....  
मृत्यु का स्थान ..... रजिस्ट्रीकरण का दिनांक .....

पिता/माता/पति का नाम .....

जारी करने वाले प्राधिकारी के हस्ताक्षर .....

मुहर

दिनांक .....

टिप्पणी – मृत्यु की दशा में मृत्यु के कारण के सम्बन्ध में विशिष्टियां जैसा कि रजिस्टर में प्रविष्ट  
है, प्रकट नहीं की जायेगी।

उपधारा 17(1) का प्रतिबन्धात्मक खण्ड